सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 25/2016

1. हरीराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 एम.एल. निमावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज0

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. मोहनलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. मनोज कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4. पुष्पा पत्नी श्री शंकरलाल जाति कुम्हार पुत्र श्री शंकरलाल निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा (हरियाणा)
5. ग्राम पंचायत चक 4 एम.एल. निमावाली पंचायत समिति श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत 4 एमएल का प्लाट 42.6X80 अप्रार्थी के पिता को पट्टा जारी किया गया बमुराद मन्सूख है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अप्रार्थी 01 से 04 (अनुपस्थित)

आदेश **दिनांक: 16.01.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत 4 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा निगरानीकर्ता के पास गांव चक 4 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर में 80X85 फीट का कब्जा अर्सा करीबन 50 वर्ष से लगातार चला आ रहा हैं। अब भी मौके पर निगरानीकर्ता का कब्जा है निगरानीकर्ता भाई शंकरलाल शुरू से ही पन्नीवाला मौटा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा का रहने वाला है तथा उसका परिवार भी शुरू से वही रह रहा है। अब शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु के बाद उसके लडके के मन में बदनिति आ गई है इस बदनिति की वजह से वह निगरानीकर्ता के 80X85 फीट के प्लाट में से 80X42.6 फीट पर कब्जा करने की कोशिश की तो निगरानीकर्ता को पता चला कि गैरनिगरानीकर्ता के पिता ने पट्टा अपने नाम जारी करवा लिया है। जिस पर निगरानीकर्ता ने सूचना के आधार पर नकल मांगी मगर निगरानीकर्ता को नकल नही दी गई जिसमें यह अंकित किया गया कि दोनो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है लेकिन ग्राम पंचायत ने इस बात की तस्दीक की कि गैरनिगरानीकर्ता के नाम पट्टा जारी हो चुका है जब कि नियम के अनुसार उसकें नाम पट्टा जारी नहीं हो सकता है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ग्राम पंचायत अधिनिमय की धारा 57 के तहत प्लाट उसको आवंटन किया जाता है जिसका कब्जा 50 वर्ष से लगतार चला आ रहा है मगर उसका कब्जा नहीं है तो ग्राम पंचायत उसे अलाट नहीं कर सकती। यह तथ्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। निगरानीकर्ता का पिता कभी भी इस गांव में नही रहा ना तो उसका वोटर कार्ड बना ना ही उसका राशन कार्ड है ना ही वह कभी इस गांव में आबाद रहा है उसका वोटर कार्ड पन्नीवाली मोटा तहसील डब्बावाली में बना है राशन कार्ड भी वही का बना हुआ है। तमाम साबूत उसके हरियाणा में है। अलाटमेंट करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है । कमेटी मौके पर जाकर जांच करती है कमेटी की रिपोर्ट आने पर ग्राम पंचायत की मिटिंग में रखा जाता है तो नियम 157 के तहत उसे आवंटन/नियमन किया जाता है। चूंकि इस मामले में न तो कोई कमेटी का गठन किया गया ना किसी की रिपोर्ट मंगवायी गई ना ही मौके की जांच की गई। बिना जांच किये ही पट्टा जारी कर कानून भूल की है। निगरानीकर्ता के पिता के पास आज तक कब्जा नहीं रहा , जबकि गैर निगरानीकर्ता के पिता के पास कब्जा नहीं रहा तो गैर निगरानीकर्ता का इस जगह पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि गैर निगरानीकर्ता कभी इस गांव में आज तक नहीं रहा। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालना नहीं की गई विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया है। लिहाजा निगरानी स्वीकार कर चक 4 एम.एल. निमावाली तहसील श्रीगंगानगर का आहता सख्या 18 में 42.6X80 फीट का पट्टा जो शंकरलाल के नाम से जारी किया गया है उसे निरस्त करके कब्जाधारी हरीराम पुत्र बस्तीराम के नाम जारी करने का आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि " निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत 4 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा निगरानीकर्ता के पास गांव चक 4 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर में 80X85 फीट का कब्जा अर्सा करीबन 50 वर्ष से लगातार चला आ रहा हैं। अब भी मौके पर निगरानीकर्ता का कब्जा है निगरानी कर्ता भाई शंकरलाल शुरू से ही पन्नीवाला मौटा तहसील डब्बावाली जिला सिरसा का रहने वाला है तथा उसका परिवार भी शुरू से वही रह रहा है। अब शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु के बाद उसके लडके के मन में बदनिति आ गई है इस बदनिति की वजह से वह निगरानीकर्ता के 80X85 फीट के प्लाट में से 80X42.6 फीट पर कब्जा करने की कोशिश की तो निगरानीकर्ता को पता चला कि गैरनिगरानीकर्ता के पिता ने पट्टा अपने नाम जारी करवा लिया है। जब कि नियम के अनुसार उसके नाम पट्टा जारी नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत अधिनिमय की धारा 57 के तहत प्लाट उसको आवंटन किया जाता है जिसका कब्जा 50 वर्ष से लगतार चला आ रहा है मगर उसका कब्जा नहीं है तो ग्राम पंचायत उसे अलाट नहीं कर सकती यह तथ्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नही किया। गैरनिगरानीकर्ता का पिता कभी भी इस गांव में नहीं रहा ना तो उसका वोटर कार्ड बना ना ही उसका राशन कार्ड है ना ही वह कभी इस गांव में आबाद रहा है उसका वोटर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कार्ड पन्नीवाली मोटा तहसील डब्बावाली में बना है राशन कार्ड भी वही का बना हुआ है। तमाम साबूत उसके हरियाणा में है। अलाटमेंट करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है । कमेटी मौके पर जाकर जांच करती है कमेटी की रिपोर्ट आने पर ग्राम पंचायत की मिटिंग में रखा जाता है तो नियम 157 के तहत उसे आवंटन/नियमन किया जाता है। चूंकि इस मामले में न तो कोई कमेटी का गठन किया गया ना किसी की रिपोर्ट मंगवायी गई ना ही मौके की जांच की गई। बिना जांच किये ही पट्टा जारी कर कानून भूल की है। गैरनिगरानीकर्ता के पिता के पास आज तक कब्जा नहीं रहा , जब गैर निगरानीकर्ता के पिता के पास कब्जा नहीं रहा तो गैर निगरानीकर्ता का इस जगह पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि गैर निगरानीकर्ता कभी इस गांव में आज तक नही रहा। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालना नहीं की गई विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया है। लिहाजा निगरानी स्वीकार कर चक 4 एम.एल. निमावाली तहसील श्रीगंगानगर का आहता सख्या 18 में 42.6X80 फीट का पट्टा जो शंकरलाल के नाम से जारी किया गया है उसे निरस्त करके कब्जाधारी हरीराम पुत्र बस्तीराम के नाम जारी करने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। मामले में उभयपक्ष एक ही परिवार से संबंधित है और उनमें आपसी विवाद भी है। निगरानीकर्ता का कथन है कि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157 के तहत प्लाट उसको आवंटन किया जाता है जिसका कब्जा 50 वर्ष से लगतार चला आ रहा है मगर उसका कब्जा नही है तो ग्राम पंचायत उसे अलॉट नही कर सकती। उसने यह भी बताया कि गैर निगरानीकर्ता के पिता कभी इस गांव में आबाद नहीं रहे । उसने नियम 157 के तहत विहित प्रकिया भी ग्राम पंचायत द्वारा नही अपना कथित किया है । उसने यह भी कहा कि विवादित भूखण्ड पर उसका कब्जा था पर उसे पट्टे की कार्यवाही करने से पूर्व कोई सूचना नही दी । उसने **एक पट्टा बिना किसी भूखण्ड कमांक के अंकन वगैरा सख्या 34 बुक नम्बर 78 नियम 167(1) दिनांक** 20.08.2001 का पेश किया जो उसके स्वंय के नाम है जो ग्राम पंचायत 4 एमएल की ओर से संकल्प संख्या ––**शुन्य**–– दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में जारी करना बताया परन्तु इसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख उसकी ओर से पेश नहीं किया गया । केवल गैरनिगरानीकर्ता के पट्टे पर आक्षेप कथित किये है। ग्राम पंचायत के पत्रांक 2017 दिनांक 18.12.2017 से प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने पर भी निगरानीकर्ता पट्टाधारी हरिराम के द्वारा भी इस निमित कोई राशि जमा कराने की पुष्टि नहीं होती है। प्रस्तुत पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित भूखण्ड के एक पार्श्व में गैरनिगरानीकर्ता को पट्टा जारी है। निगरानीकार के द्वारा एक प्रमाण –पत्र ग्राम पंचायत 4 एमएल दिनांक 23.11.2014 पेश किया है जिसमें आबादी भूमि में एक प्लॉट 80X85 का होना तथा उस पर हरिराम निगरानीकर्ता का 40 वर्षो से कब्जा अंकित किया है तथा उसके नाम पंचायत के प्रमाण–पत्र के मुताबिक पट्टा जारी हुआ है और गैरानेगरानीकर्ता को भी पट्टा जारी हुआ हैं। गैरनिगरानीकर्ता को भी इसी प्लॉट के एक भाग का पट्टा जारी है। ऐसी स्थिति में या तो दोनो ही पट्टे विधि सम्मत है या दोनो ही अवैद्य। निगरानीकर्ता द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आक्षेपित पट्टे की प्रति भी निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं की है न ही ग्राम पंचायत के किसी आदेश या संकल्प का हवाला देकर उसे अवैध करार देते अपनी निगरानी में इंगित किया है। बिना साक्ष्य और बिना आधार के प्रस्तुत यह निगरानी मात्र कल्पना के आधार पर प्रस्तुत की गई है जिसे पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आलोक में शंकरलाल के नाम जारी कथित पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। लिहाजा निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।